



Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

कोल इंडिया का एक अंश A Subsidiary of Coal India Ltd.)

" A MINI RATNA COMPANY "

CIN:U10102CT1985GOI003161

कार्यालय महाप्रबंधक कुसमुंडा क्षेत्र

**OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
KUSMUNDA AREA**

Tel : 07815-271233 (Off)
Fax : 07815-271250

Regd. Office
SEEPAT ROAD,
POST BOX No: 60
BILASPUR (CG)

पो. कुसमुंडा कालरी
जिला-कोरबा (छ.ग.)
PO: KUSMUNDA COLLY.
DIST: KORBA (CG)

Ref. No: SECL/GM/KA/21/ 221

Date 28.01.21

मेसर्स एस.ई.सी.एल. कुसमुंडा खुली खदान विस्तार परियोजना, कुसमुंडा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ हेतु 43.942 हे. राजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पंजीयन क्रमांक FP/CG/MIN/41604/2019, ऑनलाइन आवेदन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध, रायपुर नस्ति क्र./ भू-प्रबंध/खनिज/331-262/रायपुर दिनांक 08.01.2021 के द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

अतिरिक्त जानकारी	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन
1. वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस रिपोर्ट संलग्न नहीं किया गया है। अपलोड करें।	वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट प्रति अतिरिक्त जानकारी में DGPS Report_signed.pdf नाम से अपलोड किया गया है।
2. C(iii) Survey of India Toposheet map में यूजर एजेंसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। इंडेक्स एवं नक्शों में आर.एफ/ पी.एफ/ राजस्व वन क्षेत्र/ राजस्व गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है यह भी दें। गैर वन क्षेत्रफल का मिलान फॉर्म ए पार्ट-1 में अपलोड कॉलम न. A-1(IX) से मिलान नहीं हो रहा है। सुधार कर सही क्षेत्रफल अपलोड करें।	C(iii) Survey of India topo Sheet map में यूजर एजेंसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड किया गया है। इंडेक्स एवं नक्शों में कुल राजस्व वन क्षेत्र / निजी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है दर्शाया गया है। कुल भूमि 2914.950 हे. है। फॉर्म ए पार्ट-1 में कॉलम न. A-1(ix) में कुल गैर वन भूमि 2871.008 हे. दर्शित किया गया है। यह प्रकरण 43.942 हे. विस्तारित क्षेत्र का होने के कारण पूर्व में कुसमुंडा एवं लक्ष्मण ओसी खदान के 402.966 हे. के एकजाई प्रकरण में प्राप्त प्रथम चरण स्वीकृति में से कुसमुंडा ओसी की 205.961 हे. राजस्व वन भूमि भी फॉर्म ए पार्ट-1 में कॉलम न. A-1(ix) में दर्शित गैर वन भूमि में शामिल किया गया है।
3. C(iv) Geo-Referenced map में यूजर एजेंसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। इंडेक्स एवं नक्शों में आर.एफ/ पी.एफ/ राजस्व वन क्षेत्र/ राजस्व गैर वन क्षेत्र/ निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है यह भी दें। गैर वन क्षेत्रफल का मिलान फॉर्म ए पार्ट-1 में अपलोड कॉलम न. A-1(IX) से मिलान नहीं हो रहा है। सुधार कर सही क्षेत्रफल अपलोड करें।	C (iv) Geo-referenced map में यूजर एजेंसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड किया गया है। इंडेक्स एवं नक्शों में कुल राजस्व वन क्षेत्र / निजी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है दर्शाया गया है। कुल भूमि 2914.950 हे. है। फॉर्म ए पार्ट-1 में कॉलम न. A-1(ix) में कुल गैर वन भूमि 2871.008 हे. दर्शित किया गया है। यह प्रकरण 43.942 हे. विस्तारित क्षेत्र का होने के कारण पूर्व में कुसमुंडा एवं लक्ष्मण ओसी खदान के 402.966 हे. के एकजाई प्रकरण में प्राप्त प्रथम चरण स्वीकृति में से कुसमुंडा ओसी की 205.961 हे. राजस्व वन भूमि भी फॉर्म ए पार्ट-1 में कॉलम न. A-1(ix) में दर्शित गैर वन भूमि में शामिल किया गया है।

4. अपलोड किए गए नक्शे के इंडेक्स में दिए गए गैर वन भूमि का क्षेत्रफल सही है तो फॉर्म ए पार्ट-1 के गैर वन भूमि के समस्त कॉलम में सुधार करें।	अपलोड किए गए नक्शों के इंडेक्स में कुल प्रभावित होने वाले क्षेत्र को दर्शाया गया है। यह प्रकरण 43.942 हे. विस्तारित क्षेत्र का होने के कारण पूर्व में कुसमुंडा एवं लक्ष्मण ओसी खदान के 402.966 हे. के एकजाई प्रकरण में प्राप्त प्रथम चरण स्वीकृति में से कुसमुंडा ओसी की 205.961 हे. राजस्व वन भूमि भी फॉर्म ए पार्ट-1 में कॉलम न. A-1(ix) में दर्शित गैर वन भूमि में शामिल है।
--	--

यह आपके अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
धन्यवाद।

भवदीय,


महाप्रबंधक,

 एसईसीएल, कुसमुंडा क्षेत्र

प्रतिलिपि -

महाप्रबंधक (खनन)/ विभागाध्यक्ष (वन), एस.ई.सी.एल बिलासपुर।

महाप्रबंधक (खनन), कुसमुंडा परियोजना।

स्टाफ अधिकारी (खनन), कुसमुंडा क्षेत्र।

नोडल अधिकारी (पर्या./ वन), कुसमुंडा क्षेत्र।